

राजस्थान राजकारण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(2)()प्रवेश/रा.छा./सान्याअवि/2020/

३२०२६

जयपुर,दिनांक १२/०६/२०२०

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7 (2) () प्रवेश/रा.छा./सान्याअवि/2020/28492 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 8 में विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचियां में वर्ष 2019 के स्थान पर द्वितीय सूची दिनांक 27 जून, 2020, तृतीय सूची दिनांक 07 जुलाई, 2020 एवं चतुर्थ सूची दिनांक 15 जुलाई, 2020 पढ़ा जावे।

२१३
११६/२०
निदेशक

क्रमांक: एफ 7(2)()प्रवेश/रा.छा./सान्याअवि/2020/ ३२०२७ - जयपुर,दिनांक ३२१५/ १२/०६/२०२०
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- ३२१५।

1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3.निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4.समस्त जिला कलक्टर,.....।

5.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.....।

6.निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/(देवनारायण योजना/ राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7.संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), मुख्यावास।

8.उपनिदेशक(राईस)/सहायक निदेशक(छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

9.उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।

10.समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय,।

11.आदेश पत्रावली।

११६/२०
१२/०६/२०२०

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)